



Neutral Citation No. - 2026:AHC:168501

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 19069 वर्ष 2025**

तेजपाल और 4 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अंबलेश्वर पांडे, अनुज श्रीवास्तव, मानस त्रिपाठी, रजत यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 81**

**माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह**

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है तथा उनके मध्य समझौता हो गया है, जिसे वर्तमान आवेदन के साथ दाखिल किया गया है। पूर्व में, इस न्यायालय ने पक्षकारों को समझौते के सत्यापन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। उक्त आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को सत्यापन आख्या भेजने का भी निर्देश दिया गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।  
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आख्या के अनुसार, पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, जिनकी पहचान उनके संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा की गई तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2025 को समझौते का सत्यापन किया गया।

4. चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदक के विरुद्ध अभियोजन नहीं चलाना चाहता है, अतः इसे लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

5. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता उपर्युक्त तथ्यों से विवाद नहीं करते हैं।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य, जो (2019) 5 एससीसी 688** में प्रकाशित है, के मामले में समझौता/सुलह के आधार पर कार्यवाही को निरस्त किए जाने के संबंध में सिद्धांत निर्धारित किए हैं। प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

*“15. इस बिंदु पर विधि तथा उपर्युक्त उल्लिखित इस न्यायालय के अन्य निर्णयों पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित एवं माना जाता है कि:*

*i) संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग संहिता की धारा 320 के अंतर्गत गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के लिए किया जा सकता है, जिनमें मुख्यतः और अत्यधिक रूप से सिविल प्रकृति का तत्व हो, विशेष रूप से वे अपराध जो वाणिज्यिक लेन-देन से उत्पन्न हुए हों अथवा वैवाहिक संबंध या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न हुए हों और जब पक्षकारों ने अपने बीच संपूर्ण विवाद का समाधान कर लिया हो;*

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!*



ii) ऐसी शक्ति का प्रयोग उन अभियोजनों में नहीं किया जाना चाहिए, जिनमें जघन्य एवं गंभीर अपराध अथवा मानसिक विकृति से संबंधित अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध शामिल हों। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते हैं और समाज पर उनका गंभीर प्रभाव पड़ता है;

iii) इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष विधियों के अंतर्गत अपराधों अथवा लोक सेवकों द्वारा अपने पद पर कार्य करते हुए किए गए अपराधों के संबंध में भी ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और केवल पीड़ित तथा अपराधी के मध्य हुए समझौते के आधार पर उन्हें निरस्त नहीं किया जाना चाहिए;

iv) भारतीय दंड संहिता की धारा 307 तथा शस्त्र अधिनियम आदि के अंतर्गत अपराध जघन्य एवं गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए उन्हें केवल व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि समाज के विरुद्ध अपराध माना जाना चाहिए। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और/या शस्त्र अधिनियम आदि के अंतर्गत ऐसे अपराध, जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, पक्षकारों द्वारा अपने संपूर्ण विवाद का आपस में समाधान कर लिए जाने के आधार पर संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरस्त नहीं किए जा सकते हैं। तथापि, उच्च न्यायालय केवल इस आधार पर अपना निर्णय नहीं देगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का उल्लेख किया गया है अथवा इस प्रावधान के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है। उच्च न्यायालय के लिए यह जांच करना खुला होगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 को केवल औपचारिकता के लिए शामिल किया गया है अथवा अभियोजन ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए हैं, जो सिद्ध होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने का आधार बनेंगे। इस प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय को लगी हुई चोट की प्रकृति, यह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।  
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि ऐसी चोट शरीर के महत्वपूर्ण/संवेदनशील अंगों पर पहुंचाई गई है अथवा नहीं, प्रयुक्त हथियारों की प्रकृति आदि पर विचार करना खुला होगा। तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा परीक्षण केवल जांच के पश्चात साक्ष्य एकत्र किए जाने और आरोप-पत्र दाखिल किए जाने/आरोप विरचित किए जाने और/या विचारण के दौरान ही किया जा सकता है। जब मामला अभी जांच के अधीन हो, तब ऐसा परीक्षण अनुमत नहीं है। अतः नरेंद्र सिंह (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 29.6 और 29.7 में निकाले गए अंतिम निष्कर्ष को उपर्युक्त परिस्थितियों में समन्वयपूर्वक तथा समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए;

v) संहिता की धारा 482 के अंतर्गत गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की शक्ति का प्रयोग करते समय, जो निजी प्रकृति के हैं और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता है, तथा पीड़ित और अपराधी के मध्य समझौता/सुलह हो जाने के आधार पर कार्यवाही निरस्त करने का अनुरोध किया गया हो, उच्च न्यायालय को अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के आचरण, अर्थात् क्या अभियुक्त फरार था और वह क्यों फरार था, तथा शिकायतकर्ता के साथ समझौता करने के लिए उसने किस प्रकार व्यवस्था की आदि पर विचार करना आवश्यक है।”

7. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत, चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है तथा पक्षकारों के मध्य हुए समझौते का विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही सत्यापन किया जा चुका है, अतः वर्तमान आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा वाद संख्या 183 वर्ष 2025 (राज्य बनाम तेजपाल और अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 570 वर्ष 2022 से उत्पन्न हुआ है, धारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।  
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



147, 148, 149, 308, 323, 325, 427 भा.दं.सं., थाना बागपत, जनपद बागपत के अंतर्गत लंबित संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

11 अगस्त, 2026

पी.के.एस.

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।  
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।